ऑन लाईन नं. RCMS 2025/78

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 20/2025

1. मथरा देवी पत्नी साहब राम जाति जाट निवासी मनफुलसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थिया

बनाम

1. निर्मला पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी बेगांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1.श्री बलराम सुथार , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के द्वारा इन्तकाल संख्या– 651 दिनांक 04.06.2020 स्वीकृत किया गया है, को निरस्त करवाने बाबत।

:: आदेश :: दिनांक :–19.05.2026

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है :–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 20 एल.एन.पी. पटवार हल्का 17 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/62 एवं वर्तमान खाता संख्या–101 मुरब्बा नम्बर 1,10,11,20 की कुल 23.581 हैक्टेयर कृषि भूमि बृजमोहन पुत्र दौलतराम के नाम दर्ज कृषि भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 के नाम निष्पादित करवाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा बृजमोहन द्वारा निष्पादित वसीयत अनुसार दिनांक 28.03.2019 को रेस्पोडेन्ट के नाम कृषि भूमि दर्ज करने का आदेश जारी किया जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 651 दर्ज किया गया जोकि दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त कृषि भूमि का वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.01.2014 को चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 59/62 के मुरब्बा नम्बर 01,10,11,20 की कुल 23.578 हैक्टेयर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश वाद के निर्णय तक कनफर्म किया हुआ है, परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा स्थगन के दौरान ही वसीयत का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर इन्तकाल संख्या 651 स्वीकृत कर दिया गया और वाद श्रीमान न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। स्थगन के दौरान नामान्तरण स्वीकृत करने की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गयी है। बृजमोहन द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का पारिवारिक समझौता कर उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलांट को दे दी थी और अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने नाम करवाने हेतू वाद उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत कर रखा है, परन्तु तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश की अवहेलना करते हुए वसीयत प्रकरण का निर्णय कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया जोकि हर प्रकार से निरस्त करने योग्य है।

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिस आधार पर इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो कि खिलाफ कानून , वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है क्योंकि उक्त इन्तकाल अपीलांट को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत किया गया है, जो कि निरस्त करने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और ना ही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इन्तकाल स्वीकृत किया गया और रेस्पोडेन्ट को भली भांति से यह ज्ञात था कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है जिसमें ताफैसला स्थायी निषेघाज्ञा भी जारी की हुई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के कहे अनुसार उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर भारी भूल की गयी है। इस कारण भी तहसीलदार द्वारा दर्ज इन्तकाल निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट को यह भली भांति ज्ञात था कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पारिवारिक समझौता में अपीलांट को प्राप्त हुई है और अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वाद भी विचाराधीन है जिसमें रेस्पोडेन्ट हाजिर अदालत आये हुये है और जवाब दावा भी प्रस्तुत किया हुआ है और स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है परन्तु इस तथ्य को छिपाते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर से इन्तकाल स्वीकृत करवा लिया जोकि निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि अपीलांट जोकि एक वृद्ध महिला है एवं अपीलांट के पति द्वारा ही उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में एक वाद बाबत घोषणात्मक विभाजन का प्रस्तुत किया हुआ था और अपीलांट के पति की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट विधिक वारिस होने के कारण अपीलांट पक्षकार बने और रेस्पोडेन्ट के पिता

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बृजमोहन जोकि प्रतिवादी संख्या–1 पर स्थापित थे और तलबी होने पर जवाब भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ था और इसी दौरान बृजमोहन द्वारा तथाकथित वसीयतनामा तैयार करवाया गया , जबकि उक्त वर्णित भूमि पारिवारिक समझौता में अपीलांट के पति को प्राप्त हुई थी और कब्जा काश्त भी अपीलांट के पति का चला आ रहा था और अपीलांट के पति के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक अपीलांट का चला आ रहा है। इस जमीन की आय से ही अपीलांट अपना जीवन–यापन करती है परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये स्थगन के दौरान ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जो कि कानूनन गलत होने के कारण स्वीकृत इन्तकाल निरस्त करने योग्य है।

5. यह कि तहसीलदार भू–अभिलेख श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत प्रकरण का निस्तारण 29.03.2019 को किया गया जिसका नामान्तरण दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत किया गया जोकि निर्णय के करीब 14 माह बाद स्वीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्टगण को भली भांति ज्ञान था कि उक्त कृषि भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी है और स्थगन आदेश रहते हुए इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि वर्ष 2020 में पूरे भारत वर्ष में कॉरोना महामारी होने के कारण लॉकडाऊन लगा हुआ था और उक्त इन्तकाल लॉकडाऊन के समय स्वीकृत किया हुआ है जो कि जान–बूझ कर तथ्य छिपाते हुए इन्तकाल स्वीकृत करवाया गया है जो निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि अपीलांट के पति द्वारा प्रस्तुत वाद में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को भी पक्षकार बनाया हुआ था इस प्रकार उक्त स्थगन आदेश का रेस्पोडेन्ट को भली भांति ज्ञान होने के कारण भी जान–बूझकर अपीलांट को तंग व परेशान करने के लिए तथा अपीलांट की जमीन हड़पने के लिए आदेश जारी किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मूल भूत बेगांवाली पंजाब के रहने वाले है और विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त भी अपीलांट का चला आ रहा है व पारिवारिक समझौता अनुसार उक्त कृषि भूमि अपीलांट के हक व हिस्सा में आयी हुई है और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही हिन्दु खानदान के सदस्य है। अपीलांट के पति द्वारा बेगांवाली (पंजाब) में अपने हिस्सा की भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता बृजमोहन पुत्र दौलतराम के नाम निष्पादित करवा दी थी व बृजमोहन द्वारा राजस्थान के 20 एलएनपी में स्थित कृषि भूमि पारिवारिक समझौता में अपीलांट के पति को दे दी थी जिस पर कब्जा काश्त अपीलांट व अपीलांट के पति का ही चलता आ रहा था। इस कारण उक्त इन्तकाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त करने योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 कभी उक्त कृषि भूमि पर काश्तकार नहीं रहे। वह बेगावाली (पंजाब) मे निवास कर रहे है।

9. यह कि स्वीकृत इन्तकाल दिनांक 04.06.2020 का है उस समय पूर भारत वर्ष में लॉकडाऊन होने के कारण अपीलांट को इन्तकाल का पता नहीं चला अब अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करवा रखा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस निम्नानुसार पेश की :–

1. यह कि अपीलांट के पति साहबराम पुत्र दौलतराम को पारिवारिक बंटवारा में चक 20 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/62 वर्तमान खाता संख्या 101 के मुरब्बा नम्बर 1,10,11,20 की कुल 23.581 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से बृजमोहन पुत्र दौलतराम के नाम दर्ज कुल 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई, जिसका कब्जा अपीलांट के पति का बंटवारा के रोज से शान्ति पूर्वक तरीके से चला आ रहा है और अपीलांट के पति साहबराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के ससुर एवं पिता बृजमोहन दोनो सगे भाई थे और अपीलांट के पति साहब राम के नाम उक्त भूमि के अलावा पंजाब के गांव बेगावाली तहसील व जिला फाजिल्का में कृषि भूमि हक एवं हिस्से में आई परन्तु पारिवारिक बंटवारा अनुसार पंजाब की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट के ससुर एवं पिता के हक एवं हिस्से में आई जो कि साहबराम द्वारा सहमति से अपने भाई बृजमोहन के नाम करवा दी एवं चक 20 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर में बृजमोहन के नाम दर्ज कृषि भूमि पारिवारिक बंटवारा में अपीलांट के पति साहबराम के हक एवं हिस्से में आई जिसका कब्जा बृजमोहन की सहमति से अपीलांट के पति के पास शान्ति पूर्वक तरीके से चला आ रहा है और जिसे अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर में पेश किया गया जो कि आज रोज तक विचाराधीन है और वाद के लम्बनकाल के दौरान अपीलांट के पति साहबराम एवं बृजमोहन का देहान्त हो गया।

2. यह कि अपीलांट के पति साहबराम द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर ता फैंसला स्थगन जारी किया गया जिसकी प्रति सलंग्न अपील है, परन्तु बृजमोहन की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बृजमोहन के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कि स्थगन आदेश प्रभावी होते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा नामान्तरण स्वीकार कर उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई।

3. यह कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण स्वीकार करते समय ना तो मौके की रिर्पोट मंगवाई गई और ना ही अपीलांट को विधि पूर्वक सुनवाई का अवसर दिया गया और मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के कहे अनुसार इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया जो कि विधि विरूद्व होने के कारण खारिज करने योग्य है।
4. यह कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर के समक्ष ऐतराज के रूप में एक प्रार्थना पत्र एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर इन्तकाल निरस्त करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा जारी स्थगन को ना मानते हुए जबरदस्ती रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज करने योग्य है।
5. यह कि अपीलांट के पति द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आज रोज तक विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई जो कि आज रोज तक विचाराधीन है।
6. यह कि नामान्तरण दर्ज करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाई और ना ही अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इन्तकाल काबिल खारिज करने योग्य है।
7. यह कि उक्त आराजी मुताबिक रिकॉर्ड संयुक्त खाते में दर्ज है और अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त शान्ति पूर्वक चला आ रहा है और उक्त कृषि भूमि अपीलांट के पति को जरिए पारिवारिक समझौता अनुसार प्राप्त हुई है और रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर ना तो कभी कब्जा काश्त रहा और ना ही बृजमोहन के द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त करवाई गई और बृजमोहन उक्त भूमि के पेटे पंजाब के बेगावाली में कृषि भूमि प्राप्त कर ली और रेस्पोडेन्ट भी पंजाब के बेगावाली गांव में निवास कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाइ गई। इस प्रकार उक्त नामान्तरण निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

9. यह कि तहसीलदार मू–अभिलेख श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत प्रकरण का निस्तारण दिनांक 29.03.2019 को किया गया जो कि उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर में प्रस्तुत वाद के लम्बनकाल में किया गया जो कि स्थगन आदेश जारी रहते किया गया और उसकी पालना में नामान्तरण दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत किया गया जो वसीयत के निर्णय के करीब 14 माह बाद स्वीकृत किया गया और उस समय पुरे भारत वर्ष में करोना काल का लॉकडाऊन लगा हुआ था इस कारण अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया इस कारण उक्त नामान्तरण निरस्त करने योग्य है।

लिहाजा लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत नामातरण संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 को निरस्त करने का आदेश दिये जावें एवं अपील के तथ्य बहस के तथ्यों के रूप में पढें जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस निम्नानुसार पेश की :–

1. अपीलार्थिया ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 के विरूद्ध श्रीमान जी के समक्ष दिनांक 03.04.2025 को प्रेषित की और उसी रोज अन्तरिम निषेधाज्ञा रहन, बैय एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेगा तथा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित की जावें, अन्यथा अन्तरिक निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझा जावें।

कानूनी एतराज

(1) यह कि इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 के अवलोकन से विदित होता है कि इंतकाल तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.03.2019 के आधार पर तस्दीक किया गया है। इसलिए प्रश्नगत इंतकाल सुनवायी का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं होने से अपील संधारण योग्य नहीं होने से निरस्ती योग्य है।

(2) यहां यह गौरतलब भी है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.03.2019 को इसी अपीलार्थिया द्वारा श्रीमान के समक्ष बअनवानी पवनकुमार आदि बनाम निर्मला वगैरा अपील संख्या 27/2019 चुनौतीग्रस्त किया था जो दिनांक 12.03.2020 को अपील खारिज फरमा दी गयी। अपीलार्थीगण ने कानून के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए यह अपील पेश की है जो सव्यय निरस्ती योग्य है।

(3) यह कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, चूंकि उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थिया को अपील संख्या 27/2019 के आदेश से ही थी। इस प्रकार दफा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषजनक एवं उचित कारण अंकित नहीं किये है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गुणदोष

2. यह कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दिनांक 31.01.2025 को खारिज फरमा दिया जिसकी अपील में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया। इस प्रकार मूल दावा निरस्त होने से अन्तरिम स्थगन आदेश स्वतः निरस्त हो जाते है।
3. यह कि अपीलार्थिया के पास कोई कब्जा नहीं है और न ही कोई सबूत पेश किये है। गौरतलब है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन वाद पूर्ण गुणदोष पर खारिज किया जा चुका है जिसकी अपील में स्थगन आदेश दिनांक 31.01.2025 को खारिज किया जा चुका है।
4. यह कि रेस्पोडेन्ट के पिता स्व0 बृजमोहन एक पंजीकृत वसीयत का निष्पादन किया था जिसमें गवाहान उपस्थित थे। श्रीमान तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.03.2019 को सिद्ध किया जाने पर आदेश पारित किया जाये। चूंकि अपीलांट का न तो कृषि भूमि से न ही वसीयत से सरोकार है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।
5. यह कि अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी किसी भी रूप से प्रभावित पक्षकार नहीं है न ही धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त की गयी है।

अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि अपीलांटान की अपील सव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह एतराज कि उक्त विवादित इन्तकाल को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि अपीलार्थीया द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.03.2019 के विरूद्व बअनवानी अपील संख्या 27/2019 अनवानी पवन कुमार आदि बनाम निर्मला वगैरा प्रस्तुत कि गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 12.03.2020 को खारिज कर दी गई थी। उक्त वसीयत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.03.2019 में उभयपक्ष तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए थे। दोनो पक्षों को सुनकर अगर तहसीलदार कोई आदेश पारित करता है तो उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के तहत सम्भागीय आयुक्त बीकानेर को होने के कारण उक्त अपील खारिज की गई थी। अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन अपील उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत इन्तकाल के विरूद्व पेश की है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः रेस्पोडेन्ट का उक्त एतराज अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह एतराज की अपील मियाद बाहर पेश की गई है क्योंकि अपीलार्थिया को अपील संख्या 27/2019 के आदेश से यह जानकारी थी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थिया द्वारा उक्त अपील तहसीलदार के वसीयत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2019 की पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 के विरूद्व पेश की है जो कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2019 की पालना में करीब 14 माह बाद स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार द्वारा वसीयत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.03.2019 के 14 माह बाद क्यों स्वीकृत किया गया के सम्बन्ध में कोई कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अंकित नहीं किया । देरी का कारण अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में यह बताकर अंकित किया है कि तहसीलदार भू–अभिलेख श्रीगंगानगर स्वीकृत इन्तकाल 651 दिनांक 04.06.2020 जब स्वीकृत किया गया उस समय पुरे भारत वर्ष में करोना काल का लॉकडाऊन लगा हुआ था। जिसे स्वीकार ना किया जाना उचित नहीं है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का उक्त एतराज अस्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा बृजमोहन द्वारा निष्पादित वसीयत में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2019 की पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 के विरूद्व पेश की है। इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट निम्नानुसार है " **श्रीमान न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर के वसीयत निर्णय दिनांक 28.03.2019 व आदेश कमांक 1212 दिनांक 28.03.2019 व 1716 दिनांक 27.05.2020 की पालना में चक 20 एलएनपी की हाल जमाबन्दी की जांच की जिसमें उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई स्थगन का नोट नहीं था। परन्तु स्टे फाईल में वाद संख्या 124/2007 में दिनांक 10.01.2014 में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को बताया गया तो उसने उपरोक्त वाद का खारिज आदेश दिनांक 24.02.2016 जरिये तहसीलदार आदेश कमांक 1806 दिनांक 02.06.2020 को पेश किया जिसमें स्थगन आदेश हटाने का आदेश जारी किया हुआ था। उपरोक्त आदेशानुसार वसीयत का नामान्तरण दर्ज कर जांच व मिलान हेतु पेश है की।**"

अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य ऐतराज था कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के स्थगन आदेश के विचाराधीन रहते हुए उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ प्रस्तुत **वाद संख्या 124/2007 अनवानी साहब राम बनाम बृजमोहन वगैरा की पूर्ण आदेशिका की प्रति पेश की** जिसका गहनता से अवलोकन किया गया। इन्तकाल में अंकित नोट की उक्त वाद दिनांक 24.02.2016 को खारिज हो चुका है। यह सत्य बात है कि उक्त दिनांक 24.02.2016 को उक्त वाद जो उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के विचाराधीन था खारिज हुआ। खारिज आदेश निम्नानुसार है :–"**वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वादी का देहान्त अर्सा चार महा पूर्व हो चुका है जिसकी सूचना मौखिक रूप से वादी के अधिवक्ता को दी गई थी, लेकिन वादी वकील ने कायम मुकाम की कोई कार्यवाही**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली में नहीं की गई है। वकील वादी ने आज अनभिज्ञता जाहिर करते हुए। वकील के ना आने और पैरवी करने की कोई हिदायत ना होना जाहिर करते हुए, आदेशिका पर पैरवी करने की हिदायत ना होना अंकित किया है। अतः वाद वादी नो इन्स्टेक्शन अंकित होने के कारण वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।''

उक्त वाद पत्र नो इन्स्टेक्शन अंकित कर खारिज किया गया था जिसे पुनः दर्ज किये जाने हेतु वादी की तरफ से अधिवक्ता श्रीमनोहरलाल सहारण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी दिनांक 18.05.2016 को पेश किया जो दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि ''प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण संख्या 124/2014 अनवानी साहब राम बनाम बृजमोहन व अन्य पुनः वाजवा नम्बर पर दर्ज किया जावें एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी दायरा नम्बर से कम किया जाकर सलंग्न मूल वाद रहे। प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाकर पत्रावली वास्ते मूल वाद की पूर्व स्टेज साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 08.07.2019 को पेश हो।''

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत किया गया है। मूल वाद प्रकरण संख्या 124/2007 अनवानी साहब राम बनाम बृजमोहन व अन्य को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पुनः दिनांक 08.07.2019 को वाजवा नम्बर पर दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके है। उक्त वाद के साथ सलंग्न प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 147/2007 अनवानी साहबराम बनाम बृजमोहन व 172/2007 अनवानी बृजमोहन बनाम साहबराम में आदेश दिनांक 10.01.2014 को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आदेश निम्नानुसार दिया हुआ है '' दिनांक 06.01.2014 को उभयपक्षो के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 59/62 के मुरब्बा नम्बर 01,10,11,20 की 23.578 हैक्टेयर भूमि मुश्तर्का खाते में है। मुश्तर्का खाते की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो का ही नाम है। मुश्तर्का खाते की भूमि में हक व हिस्सा है। किस प्रार्थी का कितना हिस्सा बनता है यह मूल वाद में तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात साक्ष्य/सबूतो के आधार पर तैय किया जावेगा। अतः इन दोनो प्रकरण में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। ये दोनो की पत्रावलियां नम्बर से कम कर मूल वाद संख्या 124/2007 के साथ शामिल रहे।'' इस प्रकार तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 04.06.2020 जो स्वीकृत किया गया वह उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी निषेधाज्ञा के दौरान स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। जहां तक कब्जा काश्त का बिन्दु है उसके सम्बन्ध में ना तो अपीलांट द्वारा व ना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ही रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह प्रमाणित हो कि कब्जा उनका है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित इन्तकाल के सम्बन्ध में कब्जा काश्त की पूर्ण जांच की जावें एवं क्या उक्त विवादित इन्तकाल स्थगन आदेश विचाराधीन होते हुए जारी किया गया है या नही ? के सम्बन्ध में भी पूर्ण जांच की जावें। अगर उक्त दोनो तथ्य प्रमाणित पाये जाते है तो दोनो पक्षो की उपस्थित में उक्त इन्तकाल निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावें,तब तक दोनो पक्ष मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
अति० जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।